कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची।

(बाजार शाखा)
कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001
E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः– 536/बा०शा० दिनांकः– 04/09/2023

अल्पकालीन बन्दोबस्ती की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि तीन वर्षो के लिए राँची नगर निगम, राँची के नव–निर्मित भवन के पाँचवा तल में अवस्थित Cafetera की बंदोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की जायेगी। बंदोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बंदोबस्ती में निबंधित संस्था/समिति/प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते है। डाक सुरक्षित राषि **18,150/–रु०** (कर अतिरिक्त) प्रतिमाह निर्धारित है। जमानत की राषि के रुप में **25,000/–रु०** का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से जमा करना होगा।

Cafetera की बंदोबस्ती हेतु निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की गई है :–

	निविदा प्राप्त करने की तिथि	निविदा निष्पादन की तिथि
1.	दिनांक 16/09/2023 अपराह्न 1:00 बजे तक।	दिनांक 16/09/2023 अपराह्न 3:00 बजे तक।

2. आवेदन प्रपत्र का मुल्य – **500/–रु०**

नोट :– आवेदन प्रपत्र दिनांक 11/09/2023 से 13/09/2023 तक किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 2:00 बजे तक निगम कार्यालय के बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्त्ते निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्षित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/– 4/9/23
अपर प्रशासक
राँची नगर निगम, रांची।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ज्ञापांक 536 / बा०शा० दिनांक 04/09/ 2023

प्रतिलिपि :—

1. श्री गुरू दयाल सिंह P.E.S. Specialist (PMAY), को इस निदेश के साथ की उक्त सूचना का तीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में DAVP Rate पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
2. श्री राजेश कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राँची नगर निगम, राँची को बन्दोबस्ती से संबंधित नियम एवं शर्त्ते निगम वेब–साईट पर प्रर्दशन करने हेतु प्रेषित।
3. अपर प्रशासक–सह–अध्यक्ष निविदा निष्पादन समिति/सहायक प्रशासक–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी/सहायक लोक स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता (अभियंत्रण शाखा)/कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी, विधि शाखा, सदस्य निविदा निष्पादन समिति, राँची नगर निगम, राँची को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि को निविदाओं के निष्पादन हेतु निविदा निष्पादन समिति की बैठक में उपस्थित होने के निदेश के साथ प्रेषित।
4. नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशनार्थ।
5. प्रशासक महोदय, राँची नगर निगम, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अपर प्रशासक
राँची नगर निगम, राँची।

कार्यालयः राँची नगर निगम, राँची

निविदा की शर्तें।

1. डाक की सुरक्षित राशि 18150/-रु० (कर अतिरिक्त) प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह है।
2. निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।
3. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रुप में Cafeteria का 25000/- रु० का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।
4. जमानत की राशि बन्दोबस्त की राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। बन्दोबस्ती की अवधि समाप्त होने एवं बकाया राशि नहीं होने के उपरांत जमानत की राशि वापस कर दिया जाएगा।
5. Cafeteria की अवधि 03 वर्षो के लिए होगा।
6. डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा आमंत्रित की जायेगी।
7. सफल निविदाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।
8. डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।
9. डाकवक्ता को आवेदन पत्र के साथ जमानत की राशि के साथ बैंक ड्राफ्ट, हॉल्डिंग नं0 आधार कार्ड, पैन नं0, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत फूड लाइसेंस, 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लेबर लाईसेंस एवं जिला प्रशासन से चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
10. Cafeteria में जल एवं विद्युत व्यवस्था नगर निगम द्वारा प्रदत्त की जायेगी।
11. Cafeteria खाली करने के एक माह पुर्व निगम कार्यालय को सूचित करना होगा।
12. Cafeteria का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरीक्षण करने को स्वतंत्र होगे।
13. किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।
14. सफल बिडर द्वारा बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं किये जाने पर एकरारनामा रद्द किया जायेगा एवं उनका Security Deposit/Advance जब्त कर लिया जायेगा।
15. किसी तरह का अवैध व्यापार/गलत कृत पाये जाने पर एकरारनामा रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
16. Sub leasing/Sub letting की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. बन्दोबस्त राशि के विरूद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा तथा आवंटन के उपरांत निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। यदि किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो, तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

19. निर्धारित शर्त्त के उल्लघंन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा– विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुर्ननिविदा आमंत्रित करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

20. Cafeteria में नगर निगम के कर्मचारी, पदाधिकारी गण एवं निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को सब्सिडी पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु निगम द्वारा गठित टीम द्वारा निर्धारित दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराना होगा।

21. Cafeteria में खाद्य एवं पेय पदार्थ का बाजार दर एवं नगर निगम के कर्मचारी, पदाधिकारी गण एवं निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये जाने वाले दर का अंकण सूचना पट्ट पर साफ–साफ प्रदर्षित करना होगा।

22. Cafeteria एवं Open Space (Terrace) की साफ–सफाई एवं Open Space (Terrace) में लगे पेड़–पौधे का समुचित रख–रखाव आवंटनधारी को करना होगा।

23. आवंटनधारी को कार्य में लगाये जाने वाले सभी कर्मचारियों को इस आषय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामले न्यायालय/पुलिस थाना में दर्ज नहीं है।

24. आवंटनधारी को कार्य में लगाये गये कर्मचारियों का ड्रेस कोड बाजार शाखा द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं आवंटनधारी को अपने खर्च पर कर्मचारियों को ड्रेस उपलब्ध कराना होगा।

25. आवंटनधारी को कोविड–19 के प्रोटोकॉल का अक्षरषः पालन करना होगा।

26. आवंटनधारी के कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की सूविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

27. निगम के कर्मियों/पदाधिकारियों (नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त) को छोड़कर आई0 कार्ड दिखाये जाने पर सब्सिडी पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध होगा।

28. खाद्य एवं पेय पदार्थ का दर वृद्धि समय अंतराल पर (एक वर्ष उपरांत) निगम द्वारा गठित टीम के द्वारा किया जायेगा।

29. Cafeteria में आवंटनधारी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ निगम द्वारा गठित कमिटि द्वारा किया जायेगा।

30. आवंटनधारी को बिना अनुमति किसी प्रकार के स्थायी/अस्थायी संरचना के निर्माण का अधिकार नही होगा।

31. सफल डाकवक्ता के द्वारा 07 दिनों के अंदर एकरारनामा नहीं किये जाने पर जमानत की राषि जब्त कर ली जायेगी।

32. Cafeteria केवल कार्यालय समय सारिणी में चलेगा। अवकाष वाले दिन में Cafeteria बंद रहेगा।

33. किसी भी तरह का निजी आयोजन वर्जित होगा।

34. Office कार्यक्रम वरीय पदाधिकारी के अनुमति किया जायेगा।

35. सरकार द्वारा निर्गत किये जाने वाले सभी वैधानिक नियमों (Stationery Compliance) (यथा, EPF, ESIS, Laber) इत्यादि का अनुपालन करते हुए उक्त की छायाप्रति कार्यालय में समर्पित करना होगा।

नोट :–मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते है यदि निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते है तो निविदा की कार्रवाई बाधित नहीं होगी।

अपर प्रशासक
राँची नगर निगम, राँची।